



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021

आश्विन 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

संख्या 1678/38-3-2021-54एल०सी०-2004 टी०सी०

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-337

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (अराजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (अराजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1992 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम 5 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत-

5-संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के ऐसे सहायक विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो :

परन्तु, उत्तर प्रदेश संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 के प्रारम्भ के पश्चात् संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर किये जाने वाले केवल प्रथम बार चयन के लिये ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के ऐसे सहायक विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती की जायेगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत-

5-संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के ऐसे सहायक विकास अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी :

परन्तु यह कि -

यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो यह व्यवस्था की जायेगी कि चयन वर्ष 2021-22 के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारियों जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को ग्राम विकास अधिकारी सेवा को सम्मिलित करते हुये 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने हेतु पात्रता क्षेत्र को बढ़ा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी के पद पर ऐसे अभ्यर्थियों की पदोन्नति के पश्चात् संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी का पद पूर्वोक्त व्यवस्था द्वारा एक बार पुनः भरा जायेगा।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1678/XXXVIII-3-2021-54L.C.-2004 T.C., dated October 7, 2021 :

No. 1678/XXXVIII-3-2021-54L.C.-2004 T.C.

Dated Lucknow, October 7, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Joint Block Development Officer (Non- Gazetted) Service Rules, 1992.

**THE UTTAR PRADESH JOINT BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
(NON-GAZETTED) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2021**

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Joint Block Development Officer (Non-Gazetted) Service (Second Amendment) Rules, 2021 .

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Joint Block Development Officer (Non-Gazetted) Service Rules, 1992 for existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1
Existing rule

Source of Recruitment-

5. Recruitment to the post of Joint Block Development Officer shall be made by promotion from amongst such substantively appointed Assistant Development Officer of the Rural Development Department, Uttar Pradesh, who have completed seven years of service, as such, on the first day of the year of recruitment :

Provided that only for the first selection to be made after the commencement of the Uttar Pradesh Joint Block Development Officer (Non-Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2008 recruitment to the post of Joint Block Development Officer shall be made by promotion from amongst such substantively appointed Assistant Development Officers of the Rural Development Department, Uttar Pradesh who have completed two years of service as such on the first day of the year of the recruitment.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Source of Recruitment-

5. Recruitment to the post of Joint Block Development Officer shall be made by promotion from amongst such substantively appointed Assistant Development Officer of the Rural Development Department, Uttar Pradesh, who have completed seven years of service, as such, on the first day of the year of recruitment :

Provided that –

If sufficient number of eligible persons are not available for promotion, then it will be the arrangement that for selection year 2021-22 the appointing authority may extend the field of eligibility to include such substantively appointed Assistant Development Officer who have Completed 18 years of service including Village Development Officer on the first day of the year of recruitment. After promotion of such candidates on post of Block Development Officer the post of Joint Block Development Officer will be filled once again by the aforesaid arrangement.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 357 राजपत्र-2021-(810)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 ग्राम्य विकास-2021-(811)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।